इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 364] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 28 जून 2018—आषाढ़ 7, शक 1940

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 जून 2018

क्र. एफं. 7-9-2007-उन्तीस-1.—भारत सरकार के उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के पत्र क्रमांक 9-5/2014-बी.पी. II, दिनांक 1 सितम्बर 2017 के पालन में, पूर्व में ''कल्याणकारी एवं हॉस्टल योजना'' के संबंध में जारी अधिसूचना क्रमांक 35 क्र. एफ. 7-9-2007-उन्तीस-1, भोपाल, दिनांक 18 जनवरी 2018 के दिशा-निर्देश के बिन्दु क्रमांक 3.3 को विलोपित करते हुए, राज्य शासन नवीन बिन्दु क्रमांक 3.3 निम्नानुसार प्रतिस्थापित करता है:—

''3.3 चयनित संस्थाओं के प्रत्येक रहवासियों को प्रतिमाह अधिकतम 15 किलोग्राम खाद्यान्न (गेहूं एवं चावल) की पात्रता होगी:

परन्तु इस पात्रता में राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से निर्धारित खाद्यान्न की अधिकतम आवंटन सीमा एवं राज्य में पात्र संस्थाओं के हितग्राहियों की संख्या के आधार पर कमी/वृद्धि की जा सकेगी.''.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चन्देल, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.